न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलोदी, जिला जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 09/2017

अपीलांट

राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार फलोदी

बनाम

रेस्पोडेंण्ट

1. गणपतराम पुत्र खेराजराम
2. जगराम पुत्र खेराजराम
3. बीरबलराम पुत्र खेराजराम
   सभी जाति विश्नोई निवासीगण
   विश्नोई चक ढढु तहसील
   फलोदी जिला जोधपुर
4. खीयाराम पुत्र हरूराम जाति
   विश्नोई निवासी ढढु तहसील
   फलोदी जिला जोधपुर
5. सरपंच ग्राम पंचायत ढढु

अपील अंतर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट 1956
विरूद्ध ग्राम विश्नोई चक के नामांतरकरण संख्या 1133 दिनांक शून्य को ग्राम पंचायत ढढु द्वारा पारित किया गया।

अधिवक्तागण :–

1. अपीलांट स्वयं उपस्थित
2. रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक : 30/1/20

अपीलांट की अपील का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम ढढु के खसरा नम्बर 568/1 रकबा 29 बीघा में से रेस्पोडेंस संख्या 1 से 3 ने अपने 1/3 हिस्सा में से 3 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 28.09.2005 को प्रतिफल रूपये 14850/– में रेस्पोडेंटस संख्या 4 को किया तथा दस्तावेज के अनुसार प्रतिफल लेना व मौके पर कब्जा देना स्वीकार किया है। ग्राम ढढु के सेटलमेंट के खसरा नम्बर 568 रकबा 57.19 बीघा को न्यायालय उपखण्ड दण्डनायक फलोदी द्वारा धारा 145 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रकरण सख्या 05/1998 दिनांक 20.08.1998 के तहत कुर्क की जाकर थानाधिकारी फलोदी को रिसीवर नियुक्त किया गया तथा थानाधिकारी फलोदी ने दिनांक 22.08.1998 को इस भूमि का कब्जा प्राप्त किया। बेचान दिनांक 28.09.2005 के आधार पर ग्राम विश्नोई चक का नामांतरकरण संख्या 1133 ग्राम पंचायत ढढु द्वारा दिनाक शून्य को खरीददार के नाम से स्वीकृत कर दिया। बेचानकर्ता व खरीददार को जानकारी के बावजुद भी कि यह भूमि कुर्क है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना फलोदी के पास कब्जा है भूमि का बेचान

कर कानूनी भूल की है भू.अ. नियमों के अनुसार भूमि का भौतिक रूप से तथा वैधानिक रूप से कब्जा हस्तांतरण होने पर ही नामातरकरंण स्वीकृत होता है जबकि इस नामांतरकरण की कार्यवाही में ऐसा नहीं हुआ है। अतः यह नामांतरकरण खारिज फरमाया जावे।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंटस संख्या 1 ता 5 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ । पत्रावली बहस में रखी गई।

उपखण्ड अधिकारी, फलोदी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलोदी, जिला जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 09/2017

अपीलांट

बनाम

रेस्पोंडेंण्ट

राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार फलोदी

1. गणपतराम पुत्र खेराजराम
2. जगराम पुत्र खेराजराम
3. वीरवलराम पुत्र खेराजराम
   सभी जाति विश्नोई निवासीगण
   विश्नोई चक ढढु तहसील
   फलोदी जिला जोधपुर
4. खीयाराम पुत्र हरूराम जाति
   विश्नोई निवासी ढढु तहसील
   फलोदी जिला जोधपुर
5. सरपंच ग्राम पंचायत ढढु

अपील अंतर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट 1956
विरूद्ध ग्राम विश्नोई चक के नामांतरकरण संख्या 1133 दिनांक शून्य को ग्राम पंचायत ढढु द्वारा पारित किया गया।

अधिवक्तागण :–

1. अपीलांट स्वयं उपस्थित
2. रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक : 30/1/20

अपीलांट की अपील का सांराश इस प्रकार है कि ग्राम ढढु के खसरा नम्बर 568/1 रकबा 29 बीघा में से रेस्पोडेंस संख्या 1 से 3 ने अपने 1/3 हिस्सा में से 3 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 28.09.2005 को प्रतिफल रूपये 14850/– में रेस्पोडेंटस संख्या 4 को किया तथा दस्तावेज के अनुसार प्रतिफल लेना व मौके पर कब्जा देना स्वीकार किया है। ग्राम ढढु के सेटलमेंट के खसरा नम्बर 568 रकबा 57.19 बीघा को न्यायालय उपखण्ड दण्डनायक फलोदी द्वारा धारा 145 सी.आर.पी. सी. के तहत प्रकरण सख्या 05/1998 दिनांक 20.08.1998 के तहत कुर्क की जाकर थानाधिकारी फलोदी को रिसीवर नियुक्त किया गया तथा थानाधिकारी फलोदी ने दिनांक 22.08.1998 को इस भूमि का कब्जा प्राप्त किया। बेचान दिनांक 28.09.2005 के आधार पर ग्राम विश्नोई चक का नामांतरकरण संख्या 1133 ग्राम पंचायत ढढु द्वारा दिनाक शून्य को खरीददार के नाम से स्वीकृत कर दिया। बेचानकर्ता व खरीददार को जानकारी के बावजुद भी कि यह भूमि कुर्क है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना फलोदी के पास कब्जा है भूमि का बेचान

कर कानूनी भूल की है भू.अ. नियमों के अनुसार भूमि का भौतिक रूप से तथा वैधानिक रूप से कब्जा हस्तांतरण होने पर ही नामातरकरंण स्वीकृत होता है जबकि इस नामांतरकरण की कार्यवाही में ऐसा नहीं हुआ है। अतः यह नामांतरकरण खारिज फरमाया जावे।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंटस संख्या 1 ता 5 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ । पत्रावली बहस में रखी गई।

उपखण्ड अधिकारी,फलोदी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.02.11 14:02:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: